कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः— 3071 / FP/UK/ROAD/46681/2020 दिनॉकःदेहरादून 23 जून, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25—सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ के राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.02 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के ई0डी0एस0 दिनांक 30.07.2021।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 दिनांक 30.07.2021 द्वारा चाही गयी कतिपय बिन्दुओं की सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 5115/12—1(2) दिनांक 17—05—2022 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :—

क्र0 सं0	आपत्तियां	निराकरण
1	प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा तीन गांवों को लाभान्वित होना बतलाया गया है जिनका कुल जनसंख्या 414 है। परन्तु के0एम0एल0 एवं डिजिटल मानचित्र पर गांवों की स्थिति को अंकित नहीं किया गया है साथ ही के0एम0एल0 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट नहीं होता है कि इतनी आबादी प्रस्तावित मार्ग से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रही है। इस पर राज्य सरकार अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 5115/12—1(2) दिनांक 17—05—2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 एवं डिजिटल मानचित्र पर गांवों को स्थिति को अंकित कर ऑनलाईन कर लिया गया है। उक्त मोटर मार्ग से दुबतड़, तिलाड़ी एवं सेरा गांव लाभान्वित हो रहे हैं। उक्त तीनों गांव अलग—अलग छोटे तोकों में बसे हुये हैं।
2	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मार्ग में दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति में पुल निर्माण भी दर्शाया गया है, किन्तु पैरा—बी 2.4 पर component wise break up में 'पुल' निर्माण हेतु क्षेत्र का अंकित नहीं किया गया है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 5115/12—1(2) दिनांक 17—05—2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि पैरा—बी 2.4 पर component wise breakup में 'पुल' निर्माण हेतु क्षेत्र को अंकित कर लिया गया है।
3	मलवा निस्तारण योजना में मलवा निस्तारण हेतु आवश्यक क्षेत्र 0.628 हे0 दर्शाया गया है जबकि component wise breakup के अनुसार 0.50 हे0 लिखा गया है। अतः राज्य सरकार इस पर स्पष्ट टीप प्रेषित करें अथवा आवश्यक सुधार करें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 5115/12—1(2) दिनांक 17—05—2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में मलवा निस्तारण हेतु आवश्यक क्षेत्र की गणना त्रुटिपूर्ण 7.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु की गयी थी, जिस कारण 0.628 हे0 दर्शाया गया था। वर्तमान में मार्ग की वास्तविक लम्बाई 6.250 कि0मी0 हेतु गणना कर 0.500 हे0 कर लिया गया है। (संलग्नक—01)
4	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्ताव में वन भूमि का चयन किया गया है जबकि प्रस्तावित मार्ग में निश्चित अंतराल में नाप भूमि भी सम्मिलित है जिसका	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 5115/12—1(2) दिनांक 17—05—2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण हेतु

Rohit PD Backup

	उपयोग मलवा निस्तारण हेतु किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार इस पर वन मंडल अधिकारी की उचित टिप्पणी प्रेषित करें।	ग्रामीणों की नाप भूमि का चयन किया गया था परन्तु ग्रामीणों द्वारा कम क्षेत्रफल में नाप भूमि होने के कारण अपनी नाप भूमि में मलवा निस्तारण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जिस कारण नाप भूमि में मलवा निस्तारण हेतु भूमि का चयन नहीं किया गया।
5	मार्ग हेतु आवश्यक भूमि के निर्धारण हेतु 9.00 मी0 चौड़ाई ली गयी है इसलिए सम्भवतः tree enumeration भी 9 मी0 चौड़ाई पर किया गया है। अतः राज्य सरकार 7.00 मी0 की चौड़ाई पर वृक्षों की गिनती कर Tree enumeration की सूची इस कार्यालय में प्रेषित है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 5115/12–1(2) दिनांक 17–05–2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि 7.00 मी0 चौड़ाई पर वृक्षों की गणना कर वृक्षों की सूची संलग्न है। **(संलग्नक–02)**
6	राज्य सरकार मलवा निस्तारण हेतु चयनित क्षेत्र में पृथक से वृक्षों की गणना कर सूची प्रेषित करें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 5115/12–1(2) दिनांक 17–05–2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण हेतु चयनित क्षेत्र में पृथक से वृक्षों की गणना कर वृक्षों की सूची संलग्न है। **(संलग्नक–03)**
7	Tree enumeration में राज्य सरकार द्वारा लिखा गया है कि 0 से 10 व्यास वर्ग वाले वृक्षों को enumeration में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि सभी वृक्ष एवं saplings enumeration में सम्मिलित किये जाने चाहिये। अतः राज्य सरकार यथानुसार संशोधित कर enumeration प्रस्तुत करें साथ ही ऑनलाईन पोर्टल पर भी संशोधन करें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 5115/12–1(2) दिनांक 17–05–2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि 0 से 10 व्यास वर्ग वाले वृक्षों को भी वृक्षों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। वृक्षों की सूची संलग्न है। **(संलग्नक–04)**
8	प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र में 2.00 हे0 क्षेत्र Very dense forest दर्शित हो रहा है क्योंकि यह भूमि सिविल सोयम भूमि है जो वन विभाग को हस्तान्तरित की जानी है। अतः गाईडलाईन पैरा 2.4 (VI) के अनुसार कुल 6.00 हे0 क्षेत्र में से अनुपयुक्त 2.00 हे0 वन के सापेक्ष 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य योजना Prescription अनुसार अन्यत्र Degraded forest land जिसका घनत्व 0.40 से कम हो पर प्रस्तुत करें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 5115/12–1(2) दिनांक 17–05–2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रस्तावित सी0ए0 का घनत्व 0.40 से कम है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है, क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है (स्थल निरीक्षण प्रारूप संलग्न) **(संलग्नक–05)**

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

संख्या 3071 /FP/UK/ROAD/46681/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 5115/12–1(2) दिनांक 17–05–2022के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

Rohit PD Backup